सन्तोष बनाम सरकार

प्रकरण संख्या 547/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.2.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। तहसीलदार पल्लू से रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादीया का सही नाम सन्तोष पत्नी भागाराम है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए रोही मौजा झेदासर के ख.नं. 35/1 की 1.745 है., 743 की 4.628 है., 810 की 0.152 है., 811 की 5.008 है., 88 की 2.618 है. कुल 14.151 है. में से 1/3 हिस्सा में दर्ज वादीया का नाम सन्तोदेवी पत्नी भागीरथ उर्फ भागाराम के स्थान पर सन्तोष पत्नी भागाराम दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। शेंष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.02.17 19:57:34 IST
Reason: SelfAttested